न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर (राजस्थान)

निर्णय द्वारा अध्यासित आनन्दी आई.ए.एस

प्रकरण संख्याः— **37 / 2019** अपील (राजस्व)

1. श्री डूगा मीणा पिता स्व. नारायणजी मीणा निवासी मनावत फला,कालीभींत, तहसील लसाडिया, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती भाणकी पुत्री स्व. नारायणजी मीणा निवासी मनावत फला,कालीभींत, तहसील लसाडिया, जिला उदयपुर (राज.)

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री वगता मीणा पिता स्व. रतनाजी मीणा निवासी मनावत फला, कालीभींत, तहसील लसाडिया, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री ऊंकार मीणा पिता स्व. रतनाजी मीणा निवासी मनावत फला,कालीभींत, तहसील लसाडिया, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्री तहसीलदार जी तहसील लसाडिया, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रथम अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 949 दिनांक 29.06.1989 ग्राम कालीभींत पटवार हल्का कालीभींत तहसील धरियावद हाल लसाडिया जिला उदयपुर (राज0)

उपस्थितः 1. श्री नारायणलाल जाट अधिवक्ता अपीलान्ट

निर्णय

दिनांकः— 26.12.2019

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा एक अपील धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नामान्तरकरण संख्या 949 दिनांक 29.06.1989 ग्राम कालीभींत पटवार हल्का कालीभींत तहसील धरियावद हाल लसाडिया के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मूल पुरूष श्री माईंगा पिता कानाजी मीणा के दो पुत्र श्री दामा व रतना हुए। माईंगाजी की मृत्यु पर दामाजी का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने से

रतनाजी के तीन पुत्रों नारायण, वगता, उंकार में से श्री वगता, उंकार ने राजस्व अभियान सन् 1989 में प्रार्थनापत्र पेश किया कि रतनाजी का 1/2 हिस्सा था उनके बजाये हमारा 1/2 हिस्सा है जिसकी शुद्धी की जाये। रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रार्थनापत्र पेश किया उससे पहले ही अपीलान्ट के पिता नारायण की मृत्यु हो चुकी थी। जिनके वारिसान अपीलान्टस है। रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त वाद को छिपाकर रतना के वारिसान मात्र अपने आप को बता कर कार्यवाही की और राजस्व विभाग एवं ग्राम पंचायत ने भी बिना जांच किये, बिना माईन्ड एप्लाई किये अभियान की कार्यवाही में खानापूर्ति कर दी । जिससे उक्त नामान्तकरण स्वीकृत हो गया एवं राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर दिया जो विधि विरूद्ध होने से खारीज होने योग्य हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण सं. 949 दिनांक 29.06.1989 में रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के साथ में अपीलान्ट डूगा व भाणकी का नाम अंकन कराने का आदेश फरमावे।

अपनी अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम का भी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 19.06.19 को जब उन्हे फसल खराबे की मुआवजा राशि नहीं मिली तो उन्होने पटवारी से सम्पर्क किया एवं प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का आवेदन करने गये तो बताया गया कि तुम्हारे नाम पर कृषि भूमि अंकित नहीं है। जिस पर सभी दस्तावेज प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के समय को कण्डोन किया जाकर अपील स्वीकार फरमायी जाये।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर कि जाकर रेस्पोडेंटगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहे है। तामीलन नोटिस संलग्न पत्रावली है। अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही दिनांक 02.12.19 को अमल में लाई जाकर उपस्थित अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना गया।

प्रकरण में उपस्थित अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि मूल पुरूष श्री माईंगा पिता कानाजी मीणा के दो पुत्र श्री दामा व रतना हुए। माईंगाजी की मृत्यु पर दामाजी का नाम

राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने से रतनाजी के तीन पुत्रों नारायण, वगता, उंकार में से श्री वगता, उंकार ने राजस्व अभियान सन् 1989 में प्रार्थनापत्र पेश किया कि रतनाजी का 1/2 हिस्सा था, उनके बजाये हमारा 1/2 हिस्सा है जिसकी शुद्धी की जाये। रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रार्थनापत्र पेश किया उससे पहले ही अपीलान्ट के पिता नारायण की मृत्यु हो चुकी थी, जिनके वारिसान अपीलान्टस है। रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त वाद को छिपाकर रतना के वारिसान मात्र अपने आप को बता कर कार्यवाही की और राजस्व विभाग एवं ग्राम पंचायत ने भी बिना जांच किये, बिना माईन्ड एप्लाई किये अभियान की कार्यवाही में खानापूर्ति कर दी, जिससे उक्त नामान्तकरण स्वीकृत हो गया एवं राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर दिया जो विधि विरूद्ध होने से खारीज होने योग्य हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण सं. 949 दिनांक 29.06.1989 में रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के साथ में अपीलान्ट डूंगा व भाणकी का नाम अंकन कराने का आदेश फरमावे, साथ ही निवेदन किया कि फसल खराबे की प्राप्त राशि 1500/– रूपये में से तीसरे हिस्से की राशि 500/– रूपये हमे दे दिये। वादग्रस्त भूमि हमारी पैतृक है। विरासत से हमारा नाम दर्ज कराना फरमावे।

उपस्थित अधिवक्ता अपीलान्ट को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संलग्न नामान्तकरण सं. 949 मौजा कालीभीत तहसील लसाडिया का अवलोकन किया गया। उक्त नामान्तकरण राजस्व अभियान के तहत खोला गया है, जो दामा पिता माईंगा 1/2, वगता, उंकार पिता रतना 1/2 के नाम रदोबदल हुआ है। अपीलान्ट का यह कथन रहा है कि वगता, उंकार व नारायण तीन भाई थे। तीनो भाईयों का बराबर हिस्सा दर्ज होना चाहिए था, परन्तु जब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया था तब नारायण की मृत्यु हो चुकी थी। अपीलान्टगण नारायण के विधिक वारिसान है। अतः नारायण के स्थान पर डूंगा व भाणकी का नाम दर्ज होना चाहिए।

अपीलीय नामान्तकरण के अवलोकन पर अपीलान्ट की अपील को बल मिलता है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लसाडिया द्वारा ग्राम कालीभीत का स्वीकृत नामान्तकरण सं. 949

दिनांक 29.06.89 को निरस्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लसाडिया को प्रकरण पुनः इन निर्देशों के साथ में प्रतिप्रेषित किया जाता है कि स्वर्गीय रतना पिता माईंगा के सभी विधिक वारिसानों की जांच कर नये सिरे से सभी वारिसानों के नाम पर नामान्तकरण स्वीकृत करते हुए स्वर्गीय नारायण के विधिक वारिसान अपीलान्टगणों का नाम स्व.नारायण के स्थान पर दर्ज करावें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार लसाडिया को पालनार्थ प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार हों। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(आनन्दी)
जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anandhi Palaniswamy
Date: 2020.01.27 16:14:47 IST
Reason: SelfAttested
Location: